



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
DEPARTMENT OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS
केंद्रीय कार्यालय CENTRAL OFFICE
मुंबई MUMBAI

प्राधिकार का प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF AUTHORISATION
सं. No. 255/2025

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और इस प्रमाणपत्र के पीछे दिए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन **फ्यूचरटेक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (गेटेपे)** को भारत में **18 नवम्बर 2025** से 'भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।


18 नवम्बर 2025 के दिन मुंबई में मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदत्त।


(गुणवीर सिंह)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

In exercise of the powers conferred upon the Reserve Bank of India by Section 7 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, **Futuretek Commerce Private Limited (Getepay)** is hereby granted Certificate of Authorisation to operate as a 'Payment Aggregator' in India with effect from **November 18, 2025** as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and subject to compliance with the terms and conditions given on the reverse of this Certificate.

Given under my hand at Mumbai on this **18th day of November 2025**.


(Gunveer Singh)

Chief General Manager-In-Charge